# प्रथम सूचना रिपोर्ट
## (अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. **जिला–** भ्रनिब्यूरो, चौकी, कोटा शहर, कोटा **थाना–** प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर
2. प्र0इ0रि0 सं. ..........33/2022.......... दिनांक..........06/2/22
3. अधिनियम व धाराऐः–
   (I) ●अधिनियम– **पी0सी0 एक्ट (संशोधित) 2018** धाराये.–..**7, 7 ए**............
   (II) ●अधिनियम ..**भारतीय दण्ड संहिता**..... धारायें–.....**201 व 120 बी**..........
   (III) ●अधिनियम .................................................. धारायें .................
   (IV) ●अन्य अधिनियम एवं धाराये.............................
4. रोजनामचा एवं घटना तिथि का विवरणः–
   (अ) ●रोजनामचा आम रपट संख्या ..........................91.. समय–..........................10.15 A.M.
   (ब) ●अपराध घटने का दिन (वार) ......शुक्रवार...... दिनांक– ....04.02.2022.....समय–...09.15 पीएम...
   (स) ●थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक–......02.02.2022...... समय–...........................
5. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिकः– . लिखित
6. घटनास्थल :–
   (अ) ●पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **उत्तर 40 कि.मी.**
   (ब) ●घटना स्थल का पता :– आबकारी कार्यालय, धानमण्डी रोड बून्दी
   (स) ●बीट संख्या...................... जयरामदेही सं................
   (द) ●यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   ●पुलिस थाना .................................................... जिला .................
7. परिवादी / सूचनाकर्ता–
   (अ) ●नाम :– **श्री आशीष मंयक**
   (ब) ●पिता/पति का नाम :– **श्री नरेन्द्र कुमार मंयक**
   (स) ●जन्म तिथी/वर्ष :– **जाति दर्जी, उम्र 38 साल**
   (द) ●राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) ●पासपोर्ट संख्या ................................ ● जारी होने की तिथि...........................
   ● जारी होने की जगह ...........................
   (र) ●व्यवसाय :– शराब व्यवसायी
   (ल) ●पता :– निवासी– भितरिया कुण्ड, चौथ माता मन्दिर चौक, शिवपुरा थाना दादाबाडी जिला कोटा।
8. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहितः–
   1. **श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा जाति ब्रहाम्ण, उम्र 42 साल निवासी मु पो. लिसाडिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल निवासी म.न. 24ए, तिरूपति विहार, माचडा, सीकर रोड, जयपुर जिला बून्दी हाल आबकारी निरीक्षक, वृत बून्दी राजस्थान**
   2. **श्री फराजुद्दीन, निवासी घसीयारा मौहल्ला, बाईपास रोड, बून्दी (प्राईवेट ड्राईवर)**
9. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– नही
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें). :–
11. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :– 20000 रूपये
12. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) :–
13. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

दिनांक 02.02.2022 को परिवादी श्री आशीष मंयक पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार मंयक जाति दर्जी उम्र 38 साल निवासी चौथमाता मंदिर के पास भीतरिया कुण्ड शिवपुरा दादाबाडी थाना दादाबाडी कोटा ने स्वयं के हस्तलेख मे शिकायत अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, कोटा को इस आशय की पेश की कि ''मैं आशीष मंयक पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार मंयक जाति दर्जी उम्र 38 साल निवासी चौथमाता मंदिर के पास भीतरिया कुण्ड शिवपुरा दादाबाडी थाना दादाबाडी कोटा का रहने वाला हूँ। मेरी कम्पोजिट शराब की दुकान ग्राम टीकरदा थाना कोतवाली बून्दी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे है। इस शराब की दुकान मेरे पार्टनर भरत कोठारी पुत्र श्री शंभूदयाल कोठारी निवासी वार्ड रेतवाली नीलकंट मंदिर के पीछे टीपटा कैथूनीपोल कोटा के नाम लाईसेंस है। इस शराब की दुकान मे एक ओर पार्टनर सिदार्थ कोठारी निवासी बारां भी है। इस शराब की दुकान का सारा काम व लेनदेन मैं ही देखता हूँ

क्योकि भरत व सिदार्थ तो अन्य काम करते है। इसलिये इस शराब दुकान का नौकरनामा भी मेरे ही नाम है। दिनांक 27.01.2022 को मेरी शराब की दुकान टीकरदा पर आबकारी बून्दी के डी0ओ0 साहब, सीआई साहब विनोद शर्मा व अन्य स्टॉफ के साथ मेरी दुकान पर आये थें। मै उस दिन कोटा ही था मेरे पास फोन आया ओर मैने सीआई साहब विनोद जी से बात की तो उन्होने कहा की आपकी दुकान मे अवैध शराब रखी हुई आपके दुकान का मुकदमा दर्ज करगे आप आ जाओं। इस पर मैं तुरंत कोटा से रवाना होकर टीकरदा शराब की दुकान पर पहुंचा तो मुझे मेरे नोकर हंसराज गुर्जर ने बताया कि सीआई साहब छः पेटिया शराब की दुकान से ले गये है ओर मुझे केस मे फंसाने की धमकी देकर मेरा मूल आधार कार्ड ले गये है ओर आपको उनके कार्यालय मे बुलाया है। इस पर मैने मेरे पार्टनर भरत को बून्दी बुलवाया ओर हम दोनो सीआई साहब विनोद शर्मा जी के पास उनके बून्दी के आबकारी कार्यालय मे गये तो सीआई साहब ने हम दोनो को धमकाया ओर कहा कि तुम एक केस व पच्चीस हजार रूपये लेकर आ जाओ तो मैं हंसराज गुर्जर को फ्री करके उसको आधार कार्ड दे दूंगा। हमने कहा साहब ये माल आबकारी गौदाम का माल है व काफी हाथा जोडी करने पर भी वह नही माने। इस पर मैने उनको एक केस दे दिया अब उसके बाद से ही सीआई साहब विनोद शर्मा मेरे पार्टनर भरत को पच्चीस हजार रूपये व मंथली छः हजार रूपये ओर देने की मांग कर रहे है। मैं सीआई साहब विनोद शर्मा को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उनको रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई आपसी रंजिश नही है ओर ना हि कोई उधार का लेनदेन बकाया है। शिकायत पर कार्यवाही करवाने की कृपा करे। उक्त शिकायत पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, कोटा ने मन पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिये जिस पर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से दिनांक 02.02.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवाया जाकर, परिवादी श्री आशीष मंयक को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझायी गयी तथा परिवादी श्री आशीष मंयक को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर उसके साथ निगरानी हेतु श्री भरत सिह कानि. 515 को वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी विनोद शर्मा सीआई के पास आबकारी कार्यालय बून्दी के लिये रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। समय 05:45 पी.एम. पर परिवादी श्री आशीष मंयक व श्री भरत सिह कानि0 515 मय सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के उपस्थित आया। परिवादी श्री आशीष मंयक ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज हम दोनो कार्यालय हाजा से रवाना होकर बून्दी पहुंचे थें। वहां पर भरतजी बाहर ही रूक गये थे, मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके डीओ कार्यालय आबकारी बून्दी मे गया तो सीआई साहब विनोद शर्मा उनके कक्ष मे नही मिले इस पर मैने उनको कॉल किया तो उन्होने मुझे इंतजार करने के लिये कहा। इसके बाद मैने उनके ड्राईवर से पूंछा तो उसने वीसी मे होना बताया इस पर मैं बाहर भरत जी के पास आ गया था। कुछ देर बाद सीआई साहब का मेरे पास कॉल आया फिर मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके वापस डीओ कार्यालय बून्दी मे गया वहां पर मुझे सीआई साहब विनोद शर्मा उनके चैम्बर मे बैठे हुऐ मिलें। उनसे मेरी बात हुई ओर उन्होने मेरे से छः हजार रूपये मंथली के नाम का लिफाफा लेकर पहनी हुई पेन्ट की जेब मे रख लिया था ओर पच्चीस हजार रूपये की ओर मांग कर रहे है हमारे बीच जो भी बातचीत हुई वो सब डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड हो गयी है। श्री भरत सिह कानि0 515 ने परिवादी के कथनो की ताईद की। इस पर परिवादी द्वारा बाद रिश्वत मांग सत्यापन पेश डिजीटल वाईस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने प्राप्त करके रिकार्ड वार्ता को सुना तो उक्त आरोपी द्वारा परिवादी से छः हजार रूपये का लिफाफा प्राप्त करना तथा पच्चीस हजार रूपये मांगने की पुष्ठि हुई। जिसकी फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने रूपयो की व्यवस्था करके पृथक से अवगत कराने हेतु कहा गया। इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत करके रूकसत किया गया। दिनांक 03.02.2022 को परिवादी श्री आशीष मंयक ने मन् पुलिस निरीक्षक को जर्ये मोबाईल कॉल करके बताया कि मैने 25000/– रूपयो की व्यवस्था कर ली है परन्तु आज मुझे कोई काम है कल सुबह 08.30 एएम पर आपके कार्यालय मे उपस्थित आ जाउंगा। दिनांक 03.02.2022 को एक तहरीर कोषाधिकारी, कोष कार्यालय कोटा के नाम देकर दो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 04.02.2022 को समय 08.30 एएम पर कार्यालय हाजा भिजवाने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 04.02.2022 समय 09:00 ए.एम. पर पूर्व के पाबन्दशुदा गवाह श्री कुलदीप नागर सूचना सहायक कोष कार्यालय कोटा व श्री कोशल कुमार कनिष्ठ सहायक, कोष कार्यालय कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आये इसके बाद परिवादी श्री आशीष मंयक मय रिश्वत राशि पच्चीस हजार रूपये के कार्यालय हाजा उपस्थित आने पर परिवादी का परिचय दोनों गवाहान से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा पेश हस्तलिखित शिकायत प्रार्थना पत्र उक्त गवाहान को पढवाया जाकर ट्रैप कार्यवाही मे सम्मलित होने की सहमति चाही गयी। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की। समय 09:45 ए.एम. पर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री आशीष मंयक एंव आरोपी विनोद शर्मा के मध्य दिनांक 02.02.2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री भरत सिह कानि. 515 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर उनके समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10:30 ए.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष परिवादी श्री आशीष मंयक ने आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल 25000/– रूपये अपने पास से मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर फर्द मे अंकित किये गये। श्री जोगेन्द्र सिह कानि. नं. 182 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर

उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री आशीष मंयक की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप नागर से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये पच्चीस हजार रूपये में से पन्द्रह हजार रूपये एक लिफाफे मे तथा दस हजार रूपये परिवादी के पहने हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब मे श्री जोगेन्द्र सिह कानि. नं. 182 से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री जोगेन्द्र सिह कानि. नं. 182 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया। अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई, दृष्टांत की कार्यवाही मे प्रयुक्त किया गया गिलास कार्यालय मे ही छोडा गया श्री जोगेन्द्र सिह कानि. नं. 182 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी। ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर इशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री आशीष मंयक को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाकर सुपुर्द किया गया।

समय 11:05 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान मय परिवादी श्री आशीष मयंक मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप नागर व श्री कौशल कुमार मय जाप्ता श्री दिलीप सिह व0लि0, श्री भरत सिह कानि0 515, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री मनोज कुमार शर्मा कानि0 211, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 , श्री मोहम्मद खालिक कानि0 213 तथा योगेन्द सिंह कानि0 282, मुकेश सैनी कानि0 71 मय प्राईवेट वाहन आर.जे. 23 यू.ए. 7554 व सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 9357 बोलरों मय चालक श्री हेमन्त सिंह कानि0 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के बून्दी के लिये रवाना हुआ। समय 12:15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान मय परिवादी श्री आशीष मयंक मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ते के रवानाशुदा बून्दी पहुंचा तथा कृषि उपज मण्डी रोड़ आबकारी ऑफिस के आसपास मुकिम हुआ जहां तलविदा परिवादी का मित्र मय अपनी निजी स्कूटी के उपस्थित मिला जिसके साथ परिवादी आशीष मयंक को आरोपी श्री विनोद शर्मा आबकारी निरीक्षक बून्दी को रिश्वत राशि देने हेतु मय रिकार्ड लेनदेन वार्ता को रिकार्ड करने की मुनासिफ हिदायत देकर रिकार्डर चालू करवा कर रवाना किया गया। कुछ देर बाद परिवादी ने बिना पूर्व निर्धारित ईशारा किया पास आकर बताया कि आरोपी श्री विनोद शर्मा आबकारी निरीक्षक जिला बून्दी मुझे ऑफिस में नही मिले तथा मैने मोबाईल पर बात करने पर उन्होने बताया कि मैं अभी रेड़ में आया हुआ हुं। शाम हो जायेगी, आप अपनी शॉप पर चले जाओ शाम को मिलेंगे इस पर हमराही जाप्ता मय वाहनों मय परिवादी के गोपनीय स्थान पर मुकिम रहे तथा आरोपी के आने का इन्तजार करने लगे। समय 07:00 पी.एम. पर काफी इन्तजार करने के बाद परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर बात कराई तो आरोपी ने पहले तो पाटन तिराया कोटा आने के लिये कहा फिर कुछ देर बाद आरोपी का दुबारा फोन आया तो आरोपी ने कहा कि आप ऐसा करों अगर घण्टा पौन घण्टा रूक जाओ तो ऑफिस में मिलते है इस पर परिवादी ने कहा कि मैं ऑफिस में आपके आने का वेट कर लेता हुं। समय 09:15 पी.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष आबकारी कार्यालय सें बाहर निकलते हुये बोलेरो गाडी जिसके पीछे अंग्रेजी में Excise Police लिखा हुआ हैं में परिवादी श्री आशीष मयंक को बोलेरो की आगे की बाई सीट पर बैठे हुये को देखकर तथा परिवादी के साथ स्कूटी पर गये हुये अन्य व्यक्ति महेश कुमार को बोलेरो गाडी के पीछे–पीछे जाते हुये देखकर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों गवाहान एवं जाब्ते को प्राईवेट वाहन इनोवा कार में बैठाया तथा बोलेरो गाडी सें उचित दूरी बनाते हुये बोलेरा गाडी के पीछे– पीछे चलने लगे कुछ दूर चलने के बाद रोड लाईट के उजाले में परिवादी आशीष को बोलेरो गाडी सें उतरते हुये देखा तथा परिवादी के उतरने के बाद बोलेरो गाडी के मध्य की सीट में बैठे हुये व्यक्ति ने अपनी तरफ का गेट खोला तथा गेट के पास ही खडे हुये परिवादी सें बातें करने लगा बातें करते हुये परिवादी ने अपनी जेब सें लिफाफा निकालकर गाडी में बैठे हुये व्यक्ति को दिया तथा कुछ समय बाद फिर सें अपनी पेन्ट की जेब सें रूपये निकालकर गिनकर दिये जिनको गाडी में बैठे हुये व्यक्ति ने बोलेरो गाडी की बायी फाटक के साईड की सीट बेल्ट के इन आउट बॉक्स के पास में रख दिया तथा इसके बाद बोलेरो गाडी रवाना हो गई। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के पास जाकर गाडी को रोका तो परिवादी ने कहा कि साहब काम हो गया हैं तथा गाडी में वो इंस्पेक्टर व ड्राईवर ही है तथा उन्होने पांच हजार रूपये तथा 15,000 रूपये का लिफाफा ले लिया हैं जल्दी सें उनको पकडो मैं भी स्कूटी सें पीछे–पीछे ही आ रहा हूं। आरोपी द्वारा रिश्वत की रकम लेकर बोलेरो गाडी के चले जाने सें उसका पिछा किया गया तथा परिवादी को पीछे–पीछे आने का इशारा किया। प्राईवेट वाहन को बोलेरो गाडी के पीछे आता हुआ देखकर बोलेरा गाडी के ड्राईवर ने बोलेरो गाडी की स्पीड बढा दी इस पर हमने भी गाडी की स्पीड तेज कर दी तो बोलेरो गाडी का ड्राईवर बोलेरो गाडी को तेज गति सें चलाता हुआ बून्दी के मेन बाजार सें होता हुआ बोलेरो गाडी को बजार की तंग गलियों में ले गया तथा बोलेरो गाडी को तंग गलियों में खडी कर एक्साईज इंस्पेक्टर बावर्दी तथा ड्राईवर तंग गलियों में भागने लगे मन पुलिस निरीक्षक व अन्य जाब्ता ने दोनों को पीछा किया तथा एक्साईज इंस्पेक्टर को पकड लिया तथा ड्राईवर अंधेरे फायदा उठाकर आंखो सें ओझल हो गया। आसपास के लोगों सें ड्राईवर के आने बाबत पूछताछ की किन्तु सभी ने इस बाबत अनभिज्ञता जाहीर की तत्पचात एक्साईज इंस्पेक्टर को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय दिया तथा आने के मन्तव्य सें अवगत कराकर उससें उसका नाम पता पूछा तो उसने

अपना नाम श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 42 साल निवासी– गांव व पोस्ट लिसाडिया तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर द्वितीय निवास–तिरूपति विहार मकान नम्बरः–24 ए माचडा रोड नम्बर–14 जयपुर हाल निवास– किराये का मकान, न्यू कोलोनी नरेन्द्र कोठारी का मकान बून्दी हाल आबकारी निरीक्षक, वृत्त बून्दी होना तथा बोलेरा गाडी बाबत पूछने पर एक्साईज विभाग मैं उक्त बोलेरो गाडी मॉडल ZXL रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 08 TA 1456 सफेद रंग को अनुबन्ध पर लगा होना बताया।

तत्पश्चात श्री विनोद कुमार को मय एक्साईज विभाग में अनुबन्धित पर लगी हुई गाडी बोलेरो के मन पुलिस निरीक्षक मय प्राईवेट वाहन इनोवा गाडी मय दोनों गवाहान कौशल कुमार एवं कुलदीप नागर मय जाब्ता श्री भरत सिह कानि. नं. 515, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री खालिक मोहम्मद कानि. 213, श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 304 एवं श्री दिलीप सिंह, वरिष्ठ सहायक, मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणोंके भ्र.नि.ब्यूरो चौकी बून्दी पहुंचे। भ्र.नि.ब्यूरो बून्दी चौकी इन्चार्ज श्री ज्ञानचन्द मीणा, उप अधीक्षक पुलिस सें जरिये मोबाईल वार्ता कर भ्र.नि. क्ब्यूरो चौकी बून्दी पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

तत्पश्चात श्री विनोद कुमार सें रिश्वत राशि बाबत पूछा तो विनोद कुमार ने बताया कि मैने इससें कोई रूपये नहीं लिये हैं ये स्वंय ही मुझे एक लिफाफा एवं पांच रूपये जबरदस्ती देकर गया था इस पर परिवादी ने श्री विनोद कुमार की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये विनोद कुमार जी सी.आई. साहब झूंठ बोल रहे हैं दिनांक 27.01.2022 को दिन के समय ये, डी.ओ. साहब तथा अन्य स्टाफ दो तीन गाडियों सें गांव ठीकरदा की कम्पोजीट शराब की दुकान जो अनुज्ञाधारी भरत कोठारी के नाम सें हैं जो मेरा पार्टनर हैं तथा इसका नौकरनामा मेरे नाम सें हैं को चैक करने आये तथा वंहा पर चैक करने के बाद इन्होने दुकान पर काम करने वाले सैल्समेन हंसराज गुर्जर को डराया धमकाया तथा मुझ सें फोन पर बात की तथा कहा कि तुम्हारी दुकान पर अवैध शराब रखी हुई हैं जिस पर मैने कहा कि सर वो अवैध शराब नहीं हैं मैंने गोदाम सें बिल कटा रखा हैं तथा मैं आपको दिखा दूंगा बावजूद इसके ये मेरी दुकान सें देशी शराब की छ पेटीयां उठाकर ले गये जब मैं इनसें जाकर कार्यालय में मिला तो इन्होने कहा कि तुम मुझे एक एक्साईज एक्ट का एक केस बनवाने तथा 25000 रूपये एंव 6000 रूपये महीने की बन्धी के पैसे दे दो तब तो मैं तुम्हारी दुकान चलने दूंगा नही तो गारण्टी पूरी नहीं होने के कारण तुम्हारी दुकान बन्द करवा दूंगा अभी तक तो मैने आपको बचा रखा हैं कोई कागजी कार्यवाही नहीं की हैं। इस पर मैने इनको केस बनवाने व व्यवस्था करने के लिए कहा था जिसके बाद मैने इनको केस भी बनवा दिया था किन्तु इसके बाद भी इन्होने मुझे 25,000 रूपये तथा 6000 रूपये मन्थली देने के लिए दबाव बनाया। दिनांक 02.02.2022 को जब मैं रिश्वत मांग सत्यापन के लिए इनसें मिला ओर इनको 6,000 मन्थली के दिये तथा 25,000 रूपये बाद में देने तथा मदद करने के लिए कहा तो इन्होने कहा कोई दिक्कत नहीं हैं जिसके बाद आज मैं आज इनसें मिलने के लिए सुबह गया था जब तक ये कार्यालय सें निकल गये थे तथा शाम को आने के लिए कहा था जो ये अभी आये तो मैं इनके कार्यालय में गया तथा वंहा सें इन्होने मुझे इनकी गाडी में बैठाया तथा मुझे कोई चिन्ता नहीं करने के लिए कहा तथा फिर मुझे गाडी सें उतारकर पीछे की फाटक खोलकर पैसे देने का इशारा किया तो मैने अपने पास सें एक लिफाफा 15,000 रूपये का इनको दिया जो इन्होने लेकर गाडी की बायी फाटक के साईड की सीट बेल्ट के इन आउट बॉक्स के पास में रख दिया जब मैने कहा कि साहब इसमें 15,000 रूपये ही हैं थोडा डिस्काउंट कर दो ये इस लिफाफे में 15000 हैं पांच ओर कर देता हूं तो इन्होने कहा की ठीक हैं ठीक हैं कर दे तो इसके बाद मैने इनको 5,000 रूपये गिनकर दिये तथा बाद में ये रवाना हो गये थे तथा मैने आपको बताया कि वो पैसे लेकर चले गये हैं।

तत्पश्चात विनोद कुमार सें पूछा तो बताया कि उस दिन मैं तथा डी.ओ. साहब तथा अन्य स्टाफ दो तीन गाडियों सें दुकानों की चैकिंग करते हुये ठीकरदा की कम्पोजीट शराब की दुकान पर गये थे जंहा पर 6 पेटी का मिलान स्टॉक सें नही होने के कारण सैल्स मेन को कहा तो उसने इस बाबत आशीष सें डी.ओ. साहब की फोन पर बात करवाई थी इसके बाद 6 पेटीयों को गाडी में डालकर कार्यालय आबकारी विभाग बून्दी ले आये थे जिनका पंचनामा नहीं बनाया गया क्यों अभियान चल रहा हैं तो अवैध जब्त शराब का पंचनामा एक साथ ही शनिवार को बनाना तय हुआ था आज भी मैं चैकिंग के लिए पाटन व कापरेन साईड में गया था जंहा सें जयस्थल की दुकान सें अवैध शराब की पेटीयां लाया था जो कार्यालय में रखवा दी हैं किन्तु उनका पंचनामा नहीं बनाया है तथा इसके बाद ये आशीष मुझे मिला था लेकिन मैने इससें कोई रिश्वत प्राप्त नहीं की हैं ये रूपयों का लिफाफा तथा पांच रूपये अलग सें अपनी जेब सें निकालकर जबरदस्ती मेरी गाडी में डालकर चला गया मैने इससें कोई रिश्वत नहीं ली हैं।

परिवादी के कहेनुसार आरोपी ने अपने हाथ सें लिफाफा एवं पांच हजार रूपये प्राप्त कर बोलेरो गाडी की बायी फाटक के साईड की सीट बेल्ट के इन आउट बॉक्स के पास में रखे हैं अतः आरोपी श्री विनोद कुमार की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की। भ्र.नि.ब्यूरो के जाब्ते सें सें साफ पानी मंगवाकर दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री विनोद कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्कागुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित किया।

श्री विनोद कुमार के बायें व दाहिने हाथ का धोवन हल्का गुलाबी आया हैं, अतः स्वतंत्र गवाह श्री कौशल कुमार सें श्री विनोद कुमार की तलाशी लिवाई तो विनोद कुमार की पहने हुये वर्दी के कपडों में मोबाईल के

अलावा एक पर्स मिला, पर्स में विनोद कुमार का आधार कार्ड एवं एक विभागीय परिचय पत्र तथा रकम 230 रूपये मिले जिन्हे स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप नागर के पास सुरक्षित रखवाया गया तथा आरोपी सें परिवादी सें प्राप्त लिफाफे एवं अन्य रकम पांच हजार रूपये बाबत पूछा तो बताया कि आपकी गाडी को हमारी गाडी के पीछे आते देखकर मुझे अंदेशा हो गया था इसलिए मैने ड्राईवर फराजुद्धीन खान को तेज गाडी भगाने के लिए बोला तो वो गाडी को तेज गति सें चलाता हुआ सब्जी मण्डी के पीछे वाले मोहल्ले में ले गया जहां वो निवास करता हैं उसने मुझ सें कहा की ये मेरा मोहल्ला हैं तथा आप ये पैसे व लिफाफे तथा आपके पास जो अन्य रूपये हैं वो सब मुझे दे दो मैं इसी मोहल्ले में रहता हूं तथा इनके हाथ नहीं आऊंगा तथा आप मैं जिस गली की तरफ इशारा करूं उस तरफ भाग जाना जो सीधा आपको पुरानी बाईपास वाले रोड पर निकाल देगा। इसके बाद फराजुद्धीन को मैने आशीष द्वारा दिया गया सफेद लिफाफा पांच हजार रूपये तथा अन्य रूपये जो मेरे पास थे दिये तथा फराजुद्धीन ने उनको लेकर मुझे एक गली की तरफ भागने का इशारा किया तथा स्वंय दूसरी गली में भाग गया, वो रूपये व लिफाफा अब मेरे पास नहीं है। आप कहो तो मैं उसको फोन करके बुला लेता हूं इस पर आरोपी को उसका फोन दिया तथा उसने फराजुद्धीन के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो उसको मोबाइल स्वीच ऑफ आया, तत्पश्चात आरोपी ने अपने विभाग के अन्य व्यक्ति गोपाल जी को फोन करके फराजुद्धीन के घर जाकर बात करवाने के लिए बोला किन्तु उसके बाद गोपाल का भी कोई रिप्लाई नहीं आया तथा ना ही उसके मोबाईल पर पुनः रिंग करने पर उसने कोई प्रतिउत्तर दिया। आरोपी के मोबाईल सें परिवादी सें रिश्वत लेनदेन के संबध में मिलने के लिए वार्ता हुई हैं अतः आरोपी के मोबाईल Vivo V21 5G, Color-Dark Black, First IMEi No.869141054932498 Sim No. 9079189626 And Second Imei No.869141054932480 Sim No.9414362835 को बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क VM अंकित कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।

आरोपी ने परिवादी सें रिश्वत की रकम 5,000 रूपये तथा 15,000 रूपये का लिफाफा प्राप्त कर बोलेरो गाडी की बायी फाटक के साईड की सीट बेल्ट के इन आउट बॉक्स के पास में रखे हैं, अतः उक्त स्थान का धोवन लेने हेतु साफ पानी मंगवाकरएक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। मय हाजरीन के सरकारी बोलेरो रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 08 TA 1456 के पास पहुंचकर परिवादी के बताये हुये स्थान बोलेरो गाडी की बायी फाटक के साईड की सीट बेल्ट के इन आउट बॉक्स के पास की जगह को सफेद चिन्दी को रगडकर कांच के गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबीहो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क C-1, C-2 तथा धोवन के काम में ली गई चिन्दी को मार्क C अंकित कर तथा एक्साईज में अनुबन्ध पर लगी हुई गाडी बोलेरो रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 08 TA 1456 को कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात परिवादी ने रिश्वती राशि 15,000 रूपये का लिफाफा तथा 10,000 रूपयों में सें पांच हजार रूपये ही आरोपी को डिस्काउंट करने के नाम पर कम दिये हैं, अतः उक्त पाउडर लगे हुये पांच हजार रूपयें के नोटों को बतौर वजह सबूत परिवादी सें प्राप्त कर उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाह सें गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये हैं, जिनके नम्बरों का मिलान गवाहान सें कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो परिवादी द्वारा पेश उक्त 10 नोटों का कार्यालय में बनी पेशकशी के नोटों के नम्बरों सें हूबहू मिलान हुआ, नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं–

| क0स0 | नोटों का प्रकार | नोटों के नम्बर |
|---|---|---|
| 1. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का | 6 AM 620898 |
| 2. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का | 2 SL 616372 |
| 3. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का | 1 WP 225891 |
| 4. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का | 9 WT 865153 |
| 5. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का | 1 UK 653630 |
| 6. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का | 3 LN 929072 |
| 7. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का | 5 PM 364315 |
| 8. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का | 3 RR 580099 |
| 9. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का | 1 RH 523699 |
| 10. | एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का | 0 EF 611269 |

उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। इसके बाद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेनदेन के समय रिकॉर्ड हुई वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक ने सुना तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट पृथक सें तैयार की जावेगी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रखा गया। फर्द बरामदगी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए।

दिनांक 05.02.202 समय 00.30 ए.एम. पर दिनांक 04.02.2022 को दौराने रिश्वत राशि लेन–देन परिवादी श्री आशीष मयंक एंव आरोपी विनोद कुमार शर्मा आबकारी निरीक्षक के मध्य हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड की गई है, डिजीटल वाईस रिकार्डर से उक्त वार्ता श्री भरत सिंह कानि. 515 के द्वारा को लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया

गया तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01:45 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी विनोद शर्मा आबकारी निरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बून्दी को नोटिस नमूना आवाज दिया गया, मूल नोटिस पर आरोपी ने लिखित मे आवाज का नमूना नही देने बाबत् स्वयं हस्तलेख से लिखा। समय 02:00 ए.एम. पर आरोपी श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र बजरंग लाल शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 42 साल निवासी– लिसाड़ियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवास तिरूपति बिहार म0नं0 24ए माचड़ा 14 नम्बर रोड़ जयपुर हाल आबकारी निरीक्षक वृत बून्दी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बून्दी का कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 201, 120 बी भादस के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया जाने पर जर्ये फर्द गिरफ्तारी, गिरफ्तार कर हिरासत मे लिया गया, फर्द गिरफ्तारी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। समय 02.15 ए.एम. पर दिनांक 02.02.2022 को परिवादी श्री आशीष मयंक एंव आरोपी श्री विनोद शर्मा के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 04.02.2022 को हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता, जो सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड हुई है, उक्त दोनों वार्ताओं को श्री भरत सिंह कानि0 515 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर से लेपटोप मे लिवाया जाकर उक्त वार्ताओ की पांच सी0डी0 डब्ड करवाकर तैयार करवाई गई, जिसमे से एक सी0डी0 माननीय न्यायालय के लिये, एक सी0डी0 नमूना आवाज के लिये व दो सी0डी0 आरोपीगणों के लिये पृथक–पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई। एक सी0डी0 अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली की गई। कपडे की थेलीयो पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगा मैमोरी कार्ड को भी कपडे की थैली मे रखकर सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई ।

समय 02:45 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान मय परिवादी श्री आशीष मयंक मय उक्त दोनो स्वतंत्र मय जाब्ता मय गिरफ्तार शुदा आरोपी विनोद कुमार मय प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन बोलरों मय चालक श्री हेमन्त सिंह कानि0 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के मय जप्तशुदा धोवन की कुल 06 शीशीयॉ मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, C-1, C-2 तथा सीडीया, मैमारी कार्ड का पेकेट के एसीबी चौकी बूंदी से घटनास्थल का नक्शा मोका मुर्तिब करने हेतु रवाना हुआ। समय 03.15 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक उपरोक्त का रवानाशुदा घटनास्थल कोटा बूंदी मेन रोड पर पहुचा जहा पर रोड लाईट की अच्छी रोशनी होने पर परिवादी श्री आशीष मयंक की निशांदेही से दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए तथा बाद मुर्तिब नक्शा मोका घटनास्थल से एसीबी कोटा के लिए रवाना हुआ। समय 04.40 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान मय परिवादी श्री आशीष मयंक मय उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता मय गिरफ्तार शुदा आरोपी विनोद कुमार मय प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन बोलरों मय आर्टिकल्स के एसीबी चौकी कोटा पहुँचा। जप्तशुदा धोवन की कुल 06 शीशीयॉ मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, C-1, C-2 तथा शील्डशुदा सीडीया व मेमोरी कार्ड का पेकिट सील्ड चीट शुदा मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। गवाहान को रूकस्त किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री आशीष मयंक की गांव ठीकरदा की कम्पोजीट शराब की दुकान पर कोई केस नहीं बनाने तथा दुकान को गारण्टी के नाम पर बन्द नहीं करने तथा 25,000 रूपये एंव 6000 रूपये प्रति महीने की बन्धी की मांग करने तथा दौराने मांग सत्यापन मन्थली 6,000 रूपये प्राप्त करने तथा 25,000 रूपये बाद में प्राप्त करने के लिए सहमत होने तथा दौराने लेनदेन परिवादी सें 15,000 रूपये लिफाफे में तथा 5,000 रूपये अपने हाथ सें प्राप्त कर बोलेरो गाडी की बायी फाटक के साईड की सीट बेल्ट के इन आउट बॉक्स के पास रखने तथा उक्त स्थान के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने, आरोपी श्री विनोद कुमार के हाथों का धोवन हल्का गुलाबी आने तथा भ्रनिब्यूरो की टीम को देखकर भागने का प्रयास करने तथा रिश्वती राशि 15,000 रूपये का लिफाफा तथा 5,000 रूपये कुल 20,000 रूपये अपने ड्राईवर श्री फराजुद्धीन को देकर भगाने एवं स्वयं भी भागने का प्रयास किये जाने के कारण आरोपी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 42 साल निवासी– गांव व पोस्ट लिसाडिया तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर द्वितीय निवास–तिरूपति विहार मकान नम्बरः–24 ए माचडा रोड नम्बर–14 जयपुर हाल निवास– किराये का मकान, न्यू कोलोनी नरेन्द्र कोठारी का मकान बून्दी हाल आबकारी निरीक्षक, वृत्त बून्दी एंव ड्राईवर श्री फराजुद्धीन का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, 201 एवं 120 बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना प्रथम दृष्टया पाये जाने से आरोपी (1) श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा जाति ब्रहाम्ण, उम्र 42 साल निवासी मु पो. लिसाडिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर हाल निवासी म.न. 24ए, तिरूपति विहार, माचडा, सीकर रोड, जयपुर जिला बून्दी हाल आबकारी निरीक्षक, वृत बून्दी राजस्थान (2) श्री फराजुद्दीन, निवासी घसीयारा मौहल्ला, बाईपास रोड, बून्दी (प्राईवेट ड्राईवर) उक्त दोनो आरोपियो के विरूद्व धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, 201 एवं 120 बी आई.पी.सी. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित है।

**(नरेश चौहान)**
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 201, 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री विनोद कुमार शर्मा, आबकारी निरीक्षक वृत्त बून्दी एवं 2.श्री फराजुद्दीन, निवासी घसीयारा मौहल्ला,बाईपास रोड़ बून्दी(प्राईवेट ड्राईवर) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 33/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 318-22 दिनांक 6.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

6.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।